न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 36 / 2024

श्री जहूर मोहम्मद पुत्र नजीर मोहम्मद खान निवासी अब्दुल मार्केट निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज0

---अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू ---प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 24.09.2024

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू को आवेदन पत्र दिनांक 13.04.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

1. तहसील पीपलू क्षेत्र में उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर नदी, नाले, तालाब के पेटे में कृषि कार्य करने वाले 158 व्यक्तियों के नाम पते सहित सूची उपलब्ध करावे।
2. गोचर भूमि पर अतिक्रमण करने वाले तहसील पीपलू क्षेत्र में 386 व्यक्तियों के नाम पते सहित सूची उपलब्ध करावें।
3. अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई, कार्यवाही की प्रमाणित प्रति चाही गई है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू को पत्र कमांक 1074 दिनांक 31.07.2024, 1114 दिनांक 13.08.2024 व 1197 दिनांक 27.08.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू ने पत्र कमांक 984 दिनांक 10.09.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 410 दिनांक 13.06.2024 से सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक